

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-4 / निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३ / २०१५-१०

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक - ०१/०३/२०१७

विषय:- वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९ एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-१९५५ के अधीन केन्द्रांश मद में ₹५,३२,५०,०००/- (पांच करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-८४ दिनांक-२५.०१.२०१७ द्वारा द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपलब्ध बजट उपबन्ध एवं योजना उद्बन्ध के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में ₹६,२०,००,०००/- (छः करोड़ बीस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार जिलों से मांग के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹५,३२,५०,०००/- (पांच करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार रु०) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

३- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

४ इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, संशोधन अधिनियम-२०१५, नियम-१९९५ एवं (संशोधन) नियम-२०१६ एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-१९५५ के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-१(नियम-१२(४)) में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-१२(४)(२१) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम के तहत (i) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीडित/पीडिता को राहत और पुनर्वास (v) प्रचार-प्रसार (vi) जागरूकता (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क०व०) के अधीन अनु० जाति और अनु० जनजाति संरक्षण कक्षा (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

५- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी गुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

६- केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं०-४४ के योजना बजट मुख्य शीर्ष-२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-२७७-शिक्षा-उपशीर्ष-०२१८-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-३३०२-मुआवजा विपत्र कोड सं०-P2225012770218 से विकलनीय है।

७- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-२५६१ दिनांक-१७.४.९८ तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

८- इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-३१-०४-२०१७ तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

९- इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वारागजन,


(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।


ज्ञापांक-4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02-12-13/2015-107 पटना, दिनांक-01/03/2017
प्रतिलिपि : 1-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/पुलिस महानिरीक्षक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02-12-13/2015-107 पटना, दिनांक-01/03/2017
प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक


निदेशक

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
विवरणी-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम -1955 के अधीन आवंटित राशि की विवरणी।

(आवंटित राशि का व्यय मुख्य रूप से (i) हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि (ii) मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को पेंशन भुगतान (iii) यात्रा भत्ता, (iv) दैनिक भत्ता, (v) जागरूकता, (vi) प्रचार-प्रसार, (vii) वैधिक सहायता, (viii) सहायक राहत अनुदान-पुनर्वास, इत्यादि पर किया जायेगा।)

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि (राशि ₹लाख में)
		विपत्र कोड-P2225012770218
1	2	3
1	पटना	20.00
2	नालदा	20.00
3	रोहतास	10.00
4	भभुआ	75.00
5	बक्सर	40.00
6	गया	20.00
7	नवादा	25.00
8	औरंगाबाद	50.00
9	सारण	10.00
10	गोपालगंज	30.00
11	मुजफ्फरपुर	10.00
12	सीतामढ़ी	20.00
13	पू० चम्पारण	25.00
14	वैशाली	10.00
15	दरभंगा	30.00
16	मधुबनी	20.00
17	सहरसा	10.00
18	पूणिया	10.00
19	अररिया	10.00
20	किशनगंज	10.00
21	भागलपुर	20.00
22	लखीसराय	5.00
23	शेखपुरा	5.00
24	जमुई	10.00
25	बेगूसराय	5.00
26	समस्तीपुर	32.50
	कुल योग	532.50

रु० पांच करोड बत्तीस लाख पचास हजार मात्र

पत्रांक 117

दिनांक 01/03/2017

का अनुलग्नक।

Atrocity allotment 2013-14

निदेशक